राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ

प्रिलिम्स के लिये:

[राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ](), [सर्वोच्च न्यायालय (SC)](), संविधान का [अनुच्छेद 200](), अनुच्छेद 201, संविधान का अनुच्छेद 31A

मेन्स के लिये:

राज्य के विधेयकों, सरकारी नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनकी रूपरेखा तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर राज्यपाल की शक्तियाँ

[स्रोत: द हिंदू]()

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत के** [सर्वोच्च न्यायालय (SC)]() ने कहा है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकता है तो उसके लिये **संविधान के अनुच्छेद 200** में उल्लिखित विशिष्ट कार्रवाई का पालन करना अनिवार्य है।

- अनुच्छेद 200 का मुख्य पहलू यह है कि यह राज्यपाल को सहमति रोकने के अपने कारणों के बारे में सूचित करने तथा विधानमंडल को विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिये प्रेरित करने का आदेश देता है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है?

- यदि कोई राज्यपाल किसी विधेयक को मंज़ूरी देने से इनकार करता है, तो उसे **अनुच्छेद 200 का अनुपालन करना होगा**।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि कोई **राज्यपाल** किसी **विधेयक पर सहमति रोकने का फैसला करता है** तो उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिये विधायिका को वापस करना होगा।
- विधेयक के पुनर्मूल्यांकन के लिये विधानमंडल की आवश्यकता को संप्रेषित करने के आवश्यक कदम के बिना राज्यपाल द्वारा सहमति को रोकना **संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन** है।
- विधेयक पर अंतिम निर्णय निर्वाचित विधायिका का होता है तथा राज्यपाल का संदेश उन्हें सहमत होने के लिये बाध्य नहीं करता है। अर्थात् एक बार जब **सदन लौटाए गए विधेयक को** संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के **दोबारा पारित** कर देता है तो **राज्यपाल के पास सहमति देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं** होता है।
- किसी **विधेयक को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निर्वाचित विधानमंडल के पास** है एवं राज्यपाल का संदेश **विधायी निकाय को बाध्य नहीं करता** है।

विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं?

- **अनुच्छेद 200:**
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किसी राज्य की **विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिये राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है,** जो या तो सहमति दे सकता है, सहमति को रोक सकता है या राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिये विधेयक को आरक्षित कर सकता है।
  - राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनर्विचार का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ **विधेयक को वापस भी कर सकता है।**
- **अनुच्छेद 201:**
  - इसमें कहा गया है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित होता है, तो **राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है।**
  - राष्ट्रपति विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिये राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के विधानमंडल के सदनों को वापस भेजने का निर्देश भी दे सकता है।

- **राज्यपाल के पास उपलब्ध विकल्प:**
  - वह राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को आरक्षित कर सकता है। आरक्षण अनिवार्य है जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। हालाँकि राज्यपाल विधेयक को आरक्षित भी कर सकता है यदि यह निम्नलिखित प्रकृति का हो:
  - एक अन्य विकल्प सहमति को रोकना है, लेकिन ऐसा सामान्य रूप से किसी भी राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक अत्यंत अलोकप्रिय कार्यवाही होगी।
    - संविधान के प्रावधानों के खिलाफ
    - राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का विरोध
    - देश के व्यापक हित के खिलाफ
    - गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व का
    - संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।
  - वह सहमति दे सकता है या विधेयक के कुछ प्रावधानों या विधेयक पर स्वयं पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए इसे विधानसभा को वापस **भेज सकता है।**

क्या राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर किसी विधेयक पर सहमति रोक सकता है?

- जबकि **अनुच्छेद 200 को पढ़ने से पता चलता है** कि राज्यपाल अपनी सहमति रोक सकता है, विशेषज्ञों का सवाल है कि क्या वह केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऐसा कर सकता है।
- संविधान में प्रावधान है कि राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग **अनुच्छेद 154 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है।**
- बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा द्वारा विधेयक पारित होने पर राज्यपाल को सहमति रोकने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिये।

लंबित विधेयकों से जुड़ी समस्याएँ क्या हैं?

- **निर्णय लेने में देरी:**
  - विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने में राज्यपाल की **विफलता से निर्णय लेने में देरी होती है,** जो राज्य सरकार के प्रभावी कार्यकरण को प्रभावित करती है।
  - जब राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो **इससे नीतियों** और कानूनों के **कार्यान्वयन में देरी होती है।**
- **लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करना:**
  - राज्यपाल, जिसे केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, राजनीतिक कारणों से राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को विलंबित या अस्वीकार करने के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करता है।
- **लोक धारणा:**
  - आम लोग प्रायः राज्यपाल के पास लंबित विधेयकों को राज्य सरकार की अक्षमता या उसके भ्रष्टाचार के संकेत के रूप में देखते हैं, जो सरकार की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा सकता है।
- **उत्तरदायित्व की कमी:**
  - राज्यपाल अपनी सहमति रोके रखने के निर्णय का कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है।
  - उत्तरदायित्व की यह कमी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कमज़ोर करती है।

//

Governor

Eligibility Criteria
- Must be a **citizen of India**
- At least **35 years** of age
- Must **not be a member of (either) house** of Parliament/State Legislature
- Must not hold any **office of profit**

'Dual Capacity'
- **Constitutional head of the state** and **Representative of the Union government**

Appointment and Tenure (Part VI)
- Appointed by President **(Article 153)**
- One person can be appointed as Governor for **2+ States (7th Const. Amendment in 1956)**
- Holds the office at the **Pleasure of the President** (maximum **5 years**)

Ending Tenure before 5 Years
- **Dismissal by President** (on advice of the Council of Ministers headed by PM)
  - Dismissal of governors without a valid reason is not permitted
- On grounds of **acts upheld by courts as unconstitutional** and malafide
- **Resignation** by the governor

Powers (Part VI)
- Article 161: **Pardoning powers**
- Article 164: Power to **appoint the CM and other Ministers**
- Article 176: **Special Address** by Governor
- Article 200: Power to **(withhold) assent/reserve a bill** (Legislative Assembly)
- Article 213: Power to **promulgate Ordinances**

Responsibilities
- **Appoints** – CM, other Ministers, Advocate General of State, Members of State PSC, judges of HC and districts
- Act as **ex-officio chancellor** of state Universities

Drishti IAS

आगे की राह

- राज्यपालों को **अनुच्छेद 200 के दशा-नर्दिेशों** का पालन करना चाहयि, वधियकों के वषिय में अपनी चताओं को तुरंत बताना चाहयि और उन्हें पुनर्वचार के लयि राज्य वधानसभा को वापस भेजना चाहयि। यह एक उचति प्रक्रयि सुनश्चिति करता है और वधानसभा के अधकार का सम्मान करता है।
- स्पष्ट दशा-नर्दिश और पारदर्शी प्रक्रयाएँ **गलतफहमी से बचने में मदद कर सकती** हैं। कसी वधियक पर सहमतरोकते समय **राज्यपालों को** अपने नर्णयों के लयि जवाबदेही सुनश्चिति करते हुए **पारदर्शी तर्क प्रदान करना चाहयि**।
- वधायी प्रक्रया में राज्यपालों की भूमका पर नरितर चर्चा और कानूनी स्पष्टता प्रक्रयाओं को और भी अधकि सुव्यवस्थति कर सकती है तथा संभावति संघर्षों से बच सकती है।

कानूनी अंतर्दृष्टि: [COI का अनुच्छेद 200](https://www.drishtijudiciary.com/hin)

https://www.drishtijudiciary.com/hin

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. पनम्निलखिति में से कौन-सी कसी राज्य के राज्यपाल को दी गई ववेकाधीन शक्तयाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपत को राष्ट्रपतशासन अधरोपति करने के लयि रपोर्ट भेजना।
2. मंत्रयों की नयुक्तकरना। राज्य वधानमंडल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपतके वचार के लयि आरक्षति करना।
3. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लयि नयिम बनाना।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- संवधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल अपने ववेक की आवश्यकता वाले कार्यों को छोड़कर अपने कार्यों को मंत्रपिरषिद की सहायता और सलाह से करेगा।
- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 356 के तहत कसी राज्य का राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपतशासन लगाने की सफारशि करते हुए भारत के राष्ट्रपत को एक रपोर्ट भेज सकता है। यह राज्यपाल को प्रदत्त एक ववेकाधीन शक्त है। **अतः 1 सही है।**
- वह मुख्यमंत्री (CM) और अन्य मंत्रयों की नयुक्तकरता है। वे उसकी इच्छानुसार पद पर भी बने रहते हैं। राज्य मंत्रमिंडल में मंत्रयों की नयुक्तराज्यपाल के ववेक पर नहीं होती है। वह केवल औपचारकि रूप से नयुक्तको मंजूरी देता है। ववेक मुख्यमंत्री के अधीन आता है **अतः 2 सही नहीं है।**
- राज्यपाल राज्य वधानमंडल द्वारा पारति कुछ वधियकों को राष्ट्रपतके वचार के लयि आरक्षति कर सकता है। एक मामले में ऐसा आरक्षण अनवािर्य है, अर्थात् जहाँ राज्य वधायकि द्वारा पारति वधियक राज्य उच्च न्यायालय की स्थतिको खतरे में डालता है। इसके अलावा राज्यपाल वधियक को आरक्षति भी कर सकता है यदयिह संवधान के प्रावधानों के खलिाफ है, राज्य के नीतनिदिशक सद्धांतों के वपिरीत है, देश के व्यापक हति के खलिाफ है, गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व का है आद। **अतः 3 सही है।**
- वह राज्य सरकार के व्यवसाय के अधकि सुवधाजनक लेन-देन और उक्त व्यवसाय के मंत्रयों के बीच आवंटन के लयि नयिम बनाता है। लेकनि यह शक्तराज्यपाल के ववेक के अधीन नहीं है। वह मंत्रपिरषिद की सलाह पर कार्य करता है। **अतः 4 सही नहीं है।**
- **अतः वकिल्प (b)सही उत्तर है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/governor-s-powers-over-state-bills